



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (श्रम) क्रमांक 2340/2007

याचिकाकर्ता

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

विरुद्ध

उत्तरवादी

उपदान संदाय अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रक
प्राधिकारी अधिनियम और सहायक श्रम आयुक्त दुर्ग
और अन्य।

रिट याचिका (श्रम) क्रमांक 2742/2003

याचिकाकर्ता

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

विरुद्ध

उत्तरवादी

उपदान संदाय अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रक
प्राधिकारी अधिनियम और सहायक श्रम आयुक्त दुर्ग
और अन्य।

रिट याचिका (श्रम) क्रमांक 2935/2003

याचिकाकर्ता

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

विरुद्ध

उत्तरवादी

उपदान संदाय अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रक
प्राधिकारी अधिनियम और सहायक श्रम आयुक्त दुर्ग
और अन्य।

रिट याचिका (श्रम) क्रमांक 2936/2003

याचिकाकर्ता

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

विरुद्ध

उत्तरवादी

उपदान संदाय अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रक
प्राधिकारी अधिनियम और सहायक श्रम आयुक्त दुर्ग
और अन्य।





रिट याचिका (श्रम) क्रमांक 2937/2003

याचिकाकर्ता

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

विरुद्ध

उत्तरवादी

उपदान संदाय अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रक
प्राधिकारी अधिनियम और सहायक श्रम आयुक्त दुर्ग
और अन्य।

रिट याचिका (श्रम) क्रमांक 29378/2003

याचिकाकर्ता

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

विरुद्ध

उत्तरवादी

उपदान संदाय अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रक
प्राधिकारी अधिनियम और सहायक श्रम आयुक्त दुर्ग
और अन्य।



रिट याचिका (श्रम) क्रमांक 2938/2003

याचिकाकर्ता

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

विरुद्ध

उत्तरवादी

उपदान संदाय अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रक
प्राधिकारी अधिनियम और सहायक श्रम आयुक्त दुर्ग
और अन्य।

रिट याचिका (श्रम) क्रमांक 2939/2003

याचिकाकर्ता

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड



विरुद्ध

उत्तरवादी

उपदान संदाय अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रक

प्राधिकारी अधिनियम और सहायक श्रम आयुक्त दुर्ग

और अन्य।

रिट याचिका (श्रम) क्रमांक 2940/2003

याचिकाकर्ता:

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

विरुद्ध

उत्तरवादी

उपदान संदाय अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रक

प्राधिकारी अधिनियम और सहायक श्रम आयुक्त दुर्ग

और अन्य।



रिट याचिका (श्रम) क्रमांक 2941/2003

याचिकाकर्ता:

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

विरुद्ध

उत्तरवादी

उपदान संदाय अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रक

प्राधिकारी अधिनियम और सहायक श्रम आयुक्त दुर्ग

और अन्य।

रिट याचिका (श्रम) क्रमांक 2943/2003

याचिकाकर्ता:

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

विरुद्ध

उत्तरवादी

उपदान संदाय अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रक

प्राधिकारी अधिनियम और सहायक श्रम आयुक्त दुर्ग

और अन्य।



रिट याचिका (श्रम) क्रमांक 2944/2003

याचिकाकर्ता: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

विरुद्ध

उत्तरवादी उपदान संदाय अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रक
प्राधिकारी अधिनियम और सहायक श्रम आयुक्त दुर्ग
और अन्य।

रिट याचिका (श्रम) क्रमांक 2945/2003

याचिकाकर्ता: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

विरुद्ध

उत्तरवादी उपदान संदाय अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रक
प्राधिकारी अधिनियम और सहायक श्रम आयुक्त दुर्ग
और अन्य।

रिट याचिका (श्रम) क्रमांक 2946/2003

याचिकाकर्ता: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

विरुद्ध

उत्तरवादी उपदान संदाय अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रक
प्राधिकारी अधिनियम और सहायक श्रम आयुक्त दुर्ग
और अन्य।

रिट याचिका (श्रम) क्रमांक 4833/2004

याचिकाकर्ता: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड





विरुद्ध

उत्तरवादी उपदान संदाय अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रक
प्राधिकारी अधिनियम और सहायक श्रम आयुक्त दुर्ग
और अन्य।

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

उपस्थित: याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री बी.पी. मिश्रा, अधिवक्ता ।

उत्तरवादी: क्रमांक 2 की ओर से श्री रविश वर्मा, श्री प्रदीप सक्सेना और श्री मलय

श्रीवास्तव, अधिवक्तागण ।

आदेश

(01 मार्च, 2012 को पारित)

1. यद्यपि रिट याचिका (श्रम) क्रमांक 2340 /2007 , रिट याचिका क्र. 2742, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2943, 2944, 2945, 2003 का 2946 और 2004 का रिट याचिका क्र. 4833 में एक समान तथ्य और विधि के प्रश्न निहित हैं, इसलिए इन सभी का न्काकरण इस एक ही आदेश से किया जा रहा है।

2. ये याचिकाएँ उत्तरवादी क्रमांक 1 अर्थात उपादान संदाय अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रण प्राधिकारी और सहायक श्रम आयुक्त, दुर्ग द्वारा पारित आदेशों से संबंधित हैं, जो 02.05.2002 रिट याचिका क्रमांक 2340/2007 में, 07.05.2002 , 2003 के रिट याचिका क्रमांक 2742,2935,2936, 2937, 2938, 2939,2940,2941,2943,2945, 2946 of 2003 और रिट याचिका क्रमांक 4833 of 2004 और 01.05.2002 रिट याचिका क्रमांक 2944 of 2003 में के हैं, जिसमें यह माना गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 2 बिना किसी ऊपरी सीमा के, एक निश्चित उपादान राशि का अधिकारी है और 21.10.2004 {रिट याचिका(अवकाश) क्रमांक 2340/2007 में, 31.07.2003 (रिट याचिका क्रमांक 2742, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2943, 2944, 2945 में) के आदेश। और 2946/2003) और 22.09.2004 का आदेश {रिट याचिका क्रमांक 4833/2004 में, जिसके अंतर्गत याचिकाकर्ताओं द्वारा 02.05.2002, 07.05.2002 और 01.05.2002 के आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका को निरस्त कर दिया गया है।



3. आरम्भ में ही, संबंधित उत्तरदाता क्रमांक 2 की ओर से प्रस्तुत हुए विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप सक्सेना, श्री रविश वर्मा और श्री मलय श्रीवास्तव ने बताया कि उपादान संदाय अधिनियम, 1972 की धारा 7(7) के अंतर्गत यह स्पष्टरूप से बताया गया है कि उप-धारा (4) के अंतर्गत किसी आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति, अर्थात् कंट्रोलिंग अथॉरिटी द्वारा पारित आदेश मिलने की दिनांक से साठ दिनों के अन्दर, उचित शासन या ऐसे किसी अन्य प्राधिकरण के पास अपील कर सकता है, जिसे उचित शासन इस संबंध में निश्चित करे।

4. उपादान संदाय अधिनियम 1972 की धारा 7(7) इस प्रकार है:

“(7) उपधारा (4) के अधीन आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की प्राप्ति की दिनांक से साठ दिन के अन्दर, समुचित सरकार को, अथवा ऐसे उचित अधिकारी को जो समुचित सरकार द्वारा इस विनियम द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अपील कर सकेगा:

यदि यथोचित, अपील करने पर. समुचित सरकार अथवा अधिकारी द्वारा यह समाधान हो जाता है कि याचिकाकर्ता पर्याप्त कारणों से साठ दिन की उक्त अविध के भीतर याचिका प्रस्तुत नहीं कर सका था, तो वह सरकार या पदाधिकारी. उक्त अविध को साठ दिन की अतिरिक्त अविध के लिए बढ़ा सकेगा:

परन्तु यह और भी कि नियोजक की कोई भी याचिका तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी, जब तक याचिका करने के समय याचिकाकर्ता या तो नियंत्रण अधिकारी का इस भाव का प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करे कि अपीलार्थी ने उसके पास इतनी राशी जमा कर दी है जो उपधारा (4) के अधीन जमा की जाने के लिये अपेक्षित उपदान की राशी के बराबर है, अथवा जब तक वह याचिका पदाधिकारी के पास आवश्यक राशि जमा नहीं कर देता।”

5. इन प्रकरणों में, उप श्रम आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी हैं। इसलिए, अगर याचिकाकर्ता को उपदान तय करने के आदेश के बारे में कोई शिकायत है, तो याचिकाकर्ता को सभी विषयों को उठाते हुए अपीलीय प्राधिकारी के पास जाना चाहिए था, क्योंकि अपीलीय प्राधिकारी एक विधिक और प्रभावी फोरम है।

6. यह पूछे जाने पर कि याचिकाकर्ता ने विधिक फोरम में जाए बिना सीधे इस न्यायालय में क्यों संपर्क किया, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री मिश्रा ने बताया कि चूंकि कई उच्च न्यायालय ने ऐसी कई रिट याचिकाओं पर सुनवाई की है, इसलिए संविधिक याचिका फोरम में जाने की आवश्यकता नहीं है और यह प्रकरण पहले ही तय हो चुका है।



7. श्री मिश्रा का उपरोक्त तर्क आधारहीन है। भले ही अलग-अलग उच्च न्यायालय ने नियंत्रण अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध सीधे याचिकाएं स्वीकार की हों, इसका अर्थ यह नहीं है कि अपीलीय प्राधिकारी ने आनाकानी की है और नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के सामने कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।

8. सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य बनाम गुजरात अंबुजा सीमेंट और अन्य¹ के मामले में यह उपबंधित किया कि:

17. हम सबसे पहले अपील करने वाले राज्य द्वारा उठाए गए वैकल्पिक उपाय के संबंध में तर्क पर विचार करेंगे। 1976 के संविधान (बयालीसवें संशोधन) अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 226 में संशोधन किया गया था कि अवधि को छोड़कर, वैकल्पिक उपाय से संबंधित शक्ति को आत्मरोपित प्रतिबंध का नियम माना गया है। यह वास्तव में नीति, सुविधा और विवेक का नियम है, विधि का नियम नहीं। वैकल्पिक उपाय मौजूद होने के बाद भी, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अनुतोष देना उच्च न्यायालय के विवेक के अधिकार क्षेत्र में आता है। साथ ही, इस बात को अनदेखी नहीं किया जा सकता कि यद्यपि वैकल्पिक उपाय से जुड़ा प्रश्न, प्रकरण के अधिकार क्षेत्र से संबंधित नहीं है, लेकिन सामान्यतः अगर कोई पर्याप्त और प्रभावकारी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, तो उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दिए गए वैकल्पिक उपाय का प्रयोग किए बिना उच्च न्यायालय जाता है, तो उच्च न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसने एक ठोस प्रकरण प्रस्तुत किया है या नया असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए अच्छे कारण उपस्थित हैं।

21. जी. वीरप्पा पिल्लई विरुद्ध रमन एंड रमन लिमिटेड; सीसीइ विरुद्ध डनलप इंडिया लिमिटेड; रामेंद्र किशोर बिस्वास विरुद्ध स्टेट ऑफ़ त्रिपुरा; शिवगोंडा अन्ना पाटिल विरुद्ध स्टेट ऑफ़ महाराष्ट्र; सी.ए. अब्राहम विरुद्ध आयकर अधिकारी; टीटागढ़ पेपर मिल्स कंपनी लिमिटेड विरुद्ध स्टेट ऑफ़ उड़ीसा; एच.बी. गांधी गोपी नाथ एंड संस; व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन विरुद्ध रजिस्ट्रार ऑफ़ ट्रेड मार्क्स; टिन प्लेट कंपनी लिमिटेड विरुद्ध स्टेट ऑफ़ बिहार; शीला देवी विरुद्ध जसपाल सिंह और पंजाब नेशनल बैंक विरुद्ध ओ.सी. कृष्णन के प्रकरणों में, इस न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि जहां विधि द्वारा अपीलों की एक पदसोपान प्रदान की गई है, वहां पक्षकार को रिट क्षेत्राधिकार का सहारा लेने से पहले विधिक उपायों का प्रयोग करना चाहिए।

¹ (2005)6 SCC 499



9. यू.पी. स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड विरुद्ध आर.एस. पांडे और अन्य² के प्रकरण में प्रतिपादित उक्त सिद्धांत को आगे लागू करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया:

“21. यू.पी. स्टेट ब्रिज कोर्प. लिमिटेड विरुद्ध यू.पी. राज्य सेतु निगम एस कर्मचारी संघ के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब विवाद किसी विधि के अंतर्गत किसी अधिकार या दायित्व को लागू करने से संबंधित हो और इसलिए विधि के अंतर्गत विशेष उपाय दिया गया हो, तो उच्च न्यायालय को आम राय से हटकर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, केवल इसके कि जब कोई बहुत सशक्त प्रकरण बनता हो। जो व्यक्ति ऐसे उपाय पर जोर देता है, वह विधि के अंतर्गत दी गई प्रक्रिया का लाभ उठा सकता है। इसी प्रकार के निर्णय प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड विरुद्ध कम्लेकर शांताराम वाडके, राजस्थान, एसआरटीसी विरुद्ध कृष्ण कान्त, चंद्रकांत तुकाराम निकम विरुद्ध म्युनिसिपल कारपोरेशन ऑफ़ अहमदाबाद और स्कूटर्स इंडिया विरुद्ध विजय ई.वी.एल्लेड के प्रकरणों में भी दिए गए हैं।

10. रिट याचिका की सुनवाई-योग्य होने और वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के अवधारणा पर एक और निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने सचिव, यू.पी. हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, इलाहाबाद और अन्य विरुद्ध एच.के. लाल³ के प्रकरण में यह अवधारित किया:

4. अभिलेख से यह स्पष्ट है कि मंडल द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र में अंकित जन्मतिथि को परिवर्तित करने का प्रतिवादी को विधिक अधिकार है या नहीं, यह प्रश्न अपीलीय न्यायालय के सामने विचाराधीन था। इसलिए, उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था, विशेषकर इस बात को देखते हुए कि उसके विरुद्ध अपील लंबित थी। रिट क्षेत्राधिकार विवेकाधीन क्षेत्राधिकार है और अगर कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो तो आमतौर पर इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

11. ऊपर बताए गए प्रकरणों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों में एक बात; सामान्यतः उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए यदि कोई सही और प्रभावकारी उपाय उपलब्ध है। अगर विधि में अपील की प्रणाली दिया गया है, तो पक्षकार को रिट क्षेत्राधिकार में जाने से पहले विधिक उपाय का सहारा लेना होगा, सिवाय उसके जहाँ कोई बहुत ठोस प्रकरण बनता हो जिसके लिए इस नियम से अलग हटकर निर्णय लेना आवश्यक हो।

12. इस न्यायालय ने, माँ शारदा सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित, प्रतापपुर विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य⁴ के प्रकरण में, दोहराया कि सामान्यतः उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए अगर कोई पर्याप्त

² (2005) 8 SCC 264

³ (2007) 2 SCC 216

⁴ 2008 (3) CGLJ 482



और प्रभावकारी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, जहाँ विधि द्वारा अपील की पदसोपान दी गई है, तो पक्षकार को रिट क्षेत्राधिकार का सहारा लेना होगा, विधिक उपाय समाप्त कर देना चाहिए, इसके अतिरिक्त कि जब कोई बहुत दृढ़ प्रकरण बनता हो जिसके लिए इस नियम से अलग हटकर निर्णय लेना आवश्यक हो।

13. यह एक सामान्य विधि है कि उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए, नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध याचिका पर सुनवाई करने से कोई वर्जन नहीं है, लेकिन केवल विशेष परिस्थितियों में जब किसी विधिक प्रावधान की वैधता को चुनौती दी गई हो या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया हो या किसी संवैधानिक या विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो। इस प्रकरण में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है और वैधानिक अपीलीय फोरम को अनदेखा करके सीधे इन याचिकाओं पर सुनवाई करने का कोई कारण नहीं है। यदि याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया वादबिंदु पहले ही निश्चित हो चुका है, जैसा कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा है, तो याचिकाकर्ता उचित निर्णय के लिए अपीलीय प्राधिकारी के सामने यह बात बता सकता है।

14. ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए, प्रकरण के गुणानुगुण पर कोई राय दिए बिना, सभी याचिकाएं वैकल्पिक और प्रभावी उपाय उपलब्ध होने के आधार पर खारिज की जाती हैं। हालांकि, याचिकाकर्ता को सलाह दी जाती है कि वह जैसा ऊपर बताया गया है, अपीलीय फोरम में जा सकता है। यद्यपि अपील करने के लिए एक समय सीमा तय की गई है और ये याचिकाएं साल 2003 और 2007 से इस न्यायालय में लंबित हैं, इसलिए, अगर याचिकाकर्ता अपील करता है, तो इस न्यायालय में इन याचिकाओं के लंबित रहने के अवधी में बिताए गए समय को विलम्ब को क्षमा करने के लिए विचार किया जा सकता है।

15. व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

हस्ता /-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

अनुवादक: अधिवक्ता, अंकिता श्रीवास्तव.